

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला विकास प्रशाखा)

—: संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन :-

कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन एवं स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के संचालनार्थ विभागीय ज्ञापक-832, दिनांक-22.12.2017 के आलोक में संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

2. पदनाम :- लेखा पदाधिकारी
3. रिक्ति :-01 (अनारक्षित)
4. अर्हता- मास्टर ऑफ कॉमर्स की डीग्री तथा किसी संस्थान में 05 वर्ष कार्य का अनुभव/कला के क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री अथवा अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. आयु सीमा :-18 से 62 वर्ष (उम्र की गणना 01.01.2018 से की जायेगी)
6. वेतन/मानदेय :-30,000/-
7. आवेदन का प्रारूप :-

पद-लेखा पदाधिकारी	
i.	आवेदक का नाम :-.....
ii.	पिता/पति का नाम :-.....
iii.	माता का नाम :-.....
iv.	लिंग (पुरुष/महिला) :-.....
v.	जन्म तिथि :-...../...../.....(DD/MM/YY)
vi.	उम्र (01.01.2018 को) :-.....दिन.....माह.....वर्ष
vii.	वर्तमान पत्राचार का पता :-.....
	मोबाईल संख्या-.....(अनिवार्य)
	ईमेल :-.....(अनिवार्य)
viii.	स्थायी पता :-.....
ix.	शैक्षणिक योग्यता :-.....
x.

घोषणा पत्र/शपथ पत्र


मैंएतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। यह मान्य है और मैं सभी शर्तें पूर्ण करता/करती हूँ। मुझे किसी संस्थान द्वारा निरूपायित/दंडित नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएँ/विवरण सही एवं सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना/विवरण असत्य पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक :-.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (स्वअभिप्रेमाणित)

8. शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि एवं कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
9. संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी।
10. संविदा पर नियुक्ति जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
11. आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक- 21/05/18 को 05 बजे अप0 तक समाहरणालय, मधुबनी (जिला विकास शाखा) में दिया जा सकेगा। उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चयन समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन में सशोधन अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।


जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।